MAA OMWATI DEGREE COLLEGE HASSANPUR(PALWAL)

M.A (4TH SEM)

POLITICAL SCIENCE

CONTEMPORARY POLITICAL THOUGHT AND THEORY

UNIT-1ST

पारंपरिक बनाम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत (Traditional vs Modern Political Theory)

राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory) एक ऐसा अध्ययन है, जो शासन, सत्ता, अधिकार, और समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार करता है। समय के साथ, राजनीतिक सिद्धांत में कई परिवर्तन आए हैं। मुख्य रूप से, पारंपरिक और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में अंतर देखा जाता है, जो समाज और शासन के बारे में दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं।

पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत (Traditional Political Theory)

पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन और मध्यकालीन काल के राजनीतिक विचारों पर आधारित है। यह आमतौर पर राज्य, सत्ता और शासन के सिद्धांतों को प्राचीन ग्रंथों जैसे प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, और हेगेल के विचारों के माध्यम से समझता है। पारंपरिक

सिद्धांत राज्य और समाज के साथ संबंधित एक स्थिर, नैतिक और विचारशील दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. राज्य का नैतिक उद्देश्य:

पारंपरिक सिद्धांतों में राज्य को एक नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता था। प्लेटो और अरस्तू जैसे विचारकों के अनुसार, राज्य का उद्देश्य सामाजिक और नैतिक आदर्शों की प्राप्ति है, और यह लोगों के कल्याण के लिए काम करता है।

2. सत्ता का वैधता:

पारंपरिक सिद्धांत में सत्ता की वैधता मुख्यतः पारंपरिक अधिकार, धर्म या राजशाही के सिद्धांतों से आती थी। उदाहरण के लिए, "दैवी अधिकार" के सिद्धांत के अनुसार, राजा का अधिकार भगवान से आता था।

3. राजनीतिक आदर्श:

पारंपरिक सिद्धांतों में आदर्श राज्य की कल्पना की जाती थी। प्लेटो ने "गणराज्य" के रूप में आदर्श राज्य का रूप प्रस्तुत किया, जिसमें न्याय, समानता और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यहां पर, राज्य की राजनीति में नैतिकता और आदर्शों का अधिक महत्व था।

4. प्रकृति पर आधारित:

पारंपरिक सिद्धांत मानव स्वभाव और उसकी प्रकृति पर आधारित था। अरस्तू का मानना था कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के अच्छे जीवन की ओर मार्गदर्शन करना है।

सकारात्मकता और सीमाएँ:

पारंपरिक सिद्धांतों में सत्ता के प्रति एक आदर्श दृष्टिकोण होता था, जिससे राज्य की भूमिका को नैतिक और उपकारी माना जाता था। हालांकि, ये सिद्धांत अक्सर वास्तविकताओं से कटे होते थे और एक आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत (Modern Political Theory)

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जन्म 16वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपीय समाजों में पुनर्निर्माण (Renaissance), राज्य के पुनर्विचार (Reformation), और औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के प्रभाव से विचारों में बदलाव आया। सिद्धांत लोकतंत्र, स्वतंत्रता, और अधिकारों पर आधारित है, और इसे सत्ता, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच समकालीन दृष्टिकोण से देखा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार:

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना गया। जॉन लॉक, जीन-जैक रूसो, और थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने समाज और राज्य के बीच के संबंधों को समझते हुए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। रूसो के "सामाजिक अनुबंध" (Social Contract) और लॉक के "प्राकृतिक अधिकार" (Natural Rights) जैसे विचार इसकी प्रमुखता को दर्शाते हैं।

2. लोकतंत्र और गणराज्य:

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में लोकतंत्र का उदय हुआ, जिसमें जनसाधारण को शक्ति दी जाती है। शक्ति का केंद्र राज्य की बजाय जनसाधारण में होता है, और चुनाव और प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन किया जाता है। यह विचार वेजफ्रैंक और थॉमस पेने जैसे विचारकों द्वारा अधिक प्रसिद्ध हुआ।

3. राजनीतिक समता:

आधुनिक राजनीति में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात की जाती है। यहां राज्य का उद्देश्य सामाजिक समता और समान अवसर प्रदान करना होता है, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण: आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विश्लेषण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। जैसे कि, राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और व्यवहार को समझने के लिए आंकड़ों, सर्वेक्षणों और संस्थागत विश्लेषण का उपयोग किया जाता है।
2. सकारात्मकता और सीमाएँ

आधुनिक सिद्धांत लोकतंत्र, स्वतंत्रता, और समानता के पक्ष में अधिक व्यावहारिक और समावेशी है। हालांकि, यह सिद्धांत कभी-कभी सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं की गहरी जड़ों को अनदेखा कर सकता है, जैसे कि गरीबी, असमानता, और जातिवाद जैसी समस्याओं को केवल कानूनी और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से हल करने की कोशिश करता है।

मुख्य अंतर (Traditional vs Modern Political Theory)**

सिद्धांत पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत
मुख्य ध्यान राज्य, नैतिकता और आदर्श राज्य के रूप में। स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र और समानता।

राज्य का उद्देश्य राज्य को सामाजिक और नैतिक आदर्शों की प्राप्ति का साधन माना जाता था। | राज्य का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और समानता सुनिश्चित करना। |

व्यक्ति का स्थान	व्यक्ति समाज और राज्य के आदर्श के प्रति उत्तरदायी था।
व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकारों का स्वामी माना जाता है।

लोकतंत्र का महत्व

लोकतंत्र का समर्थन नहीं था

लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया का विशेष महत्व।

सत्ता का स्रोत	पारंपरिक अधिकार या धर्म से शक्ति मिलती थी।
जनता के वोट से शक्ति मिलती है।

विश्लेषण की विधि	आदर्शवादी और नैतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत।
वैज्ञानिक, व्यावहारिक और समकालीन दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत।

निष्कर्ष

पारंपरिक और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों ने समाज और राज्य के संबंधों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझा है। जहां पारंपरिक सिद्धांत राज्य को एक नैतिक और आदर्श संस्था मानता है, वहीं आधुनिक सिद्धांत राज्य को एक साधन के रूप में देखता है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। आधुनिक राजनीति में व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और अधिकारों का विशेष स्थान है, जबकि पारंपरिक राजनीति अधिक समग्र और नैतिक दृष्टिकोण अपनाती है।

पोस्ट-व्यवहारवाद (Post-Behavioralism)

पोस्ट-व्यवहारवाद, राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवाद के बाद एक नया दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 1960 के दशक में व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर आलोचना करने के बाद उभरा। पोस्ट-व्यवहारवाद का उद्देश्य व्यवहारवाद की वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता को बनाए

रखते हुए राजनीति के अधिक समग्र, मानवीय और मूल्य-आधारित पहलुओं को ध्यान में लाना था।

पोस्ट-व्यवहारवाद का परिचय

पोस्ट-व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन में केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने के बजाय, मानवीय दृष्टिकोण, नैतिकता, और राजनीति के सामाजिक और सापेक्ष संदर्भ को महत्वपूर्ण माना। यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में "किसके लिए" और "क्यों" सवालों को शामिल करता है, न कि केवल "क्या" और "कैसे" सवालों को। इसे एक तरह से व्यवहारवाद का विकास माना जा सकता है, जो राजनीति को केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था, लेकिन इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी शामिल करता है।

पोस्ट-व्यवहारवाद के मुख्य सिद्धांत

1. मानव मूल्य और नैतिक दृष्टिकोण का समावेश

पोस्ट-व्यवहारवाद में यह माना गया कि राजनीतिक अध्ययन को केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों और आंकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, मानव मूल्यों, नैतिकता, न्याय और समाज के विकास के पहलुओं को भी राजनीति के अध्ययन में शामिल किया गया। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि राजनीति केवल शक्ति और व्यवहार के बारे में नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई और सामाजिक न्याय से भी संबंधित है।

2. सामाजिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान

पोस्ट-व्यवहारवाद का उद्देश्य न केवल राजनीति का विश्लेषण करना था, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान भी खोजना था। यह दृष्टिकोण राजनीति को

एक सक्रिय प्रक्रिया मानता है, जो समाज के सुधार और परिवर्तन के लिए काम करती है। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों में गरीबी, असमानता और मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।

3. व्यक्तिगत और सामूहिक उद्देश्य**

पोस्ट-व्यवहारवाद में व्यक्ति और समाज दोनों के लक्ष्यों को समान रूप से महत्व दिया गया। यह मानता है कि राजनीति को न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि यह समाज के सामूहिक कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। इसके तहत राजनीतिक प्रणालियों को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वे किस तरह से समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद कर सकती हैं।

4.संदर्भ और संदर्भ आधारित अध्ययन

पोस्ट-व्यवहारवाद का मानना है कि राजनीतिक घटनाएँ और प्रक्रियाएँ अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और सामाजिक संदर्भ में समझी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक राजनीतिक स्थिति को उसके विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाता है, न कि केवल एक सामान्य सिद्धांत या मॉडल के रूप में।

5. राजनीतिक सक्रियता और परिवर्तन

पोस्ट-व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को केवल विश्लेषणात्मक नहीं, बल्कि एक क्रियात्मक (practical) विज्ञान माना। इसके तहत, राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल चुनावों, नेताओं और सरकारों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। यह दृष्टिकोण राजनीति को समाज के सुधार और नवीनीकरण के एक उपकरण के रूप में देखता है।

पोस्ट-व्यवहारवाद का उदय

पोस्ट-व्यवहारवाद का उभार 1960 के दशक में हुआ, जब सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक बदलावों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि राजनीतिक अध्ययन को केवल तथ्यों और आंकड़ों से नहीं, बल्कि समाज के हितों और नैतिकता के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। अमेरिका में नागरिक अधिकारों का आंदोलन, वियतनाम युद्ध के विरोध, और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष जैसे घटनाओं ने इस नई दृष्टिकोण की आवश्यकता को महसूस कराया। विशेष रूप से, डेविड ईस्टन और गॉर्टन ऑस्बॉर्न जैसे विचारकों ने व्यवहारवाद की आलोचना की और इसे राजनीति के वास्तविक समस्याओं के समाधान से दूर पाया। उन्होंने यह तर्क दिया कि व्यवहारवाद ने राजनीति को एक बहुत ही तटस्थ और निर्लिप्त (detached) गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया था, जबकि राजनीति वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जुड़ी हुई है, जैसे गरीबी, असमानता, और मानवाधिकारों का उल्लंघन।

पोस्ट-व्यवहारवाद के मुख्य योगदान

1. मूल्य आधारित अध्ययन: पोस्ट-व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन में मूल्य आधारित दृष्टिकोण को स्थान दिया। यह माना गया कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल राजनीति की वस्तुनिष्ठता से ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक और मानवीय पहलुओं से भी जुड़ना चाहिए।

2. राजनीतिक सक्रियता और परिवर्तन: इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को समाज के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के लिए सक्रिय रूप से काम करने की प्रेरणा दी। यह नीति-निर्माण और सुधारों की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाता है।

3. समाज के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित: पोस्ट-व्यवहारवाद ने राजनीति को केवल सिद्धांतों और अवधारणाओं से नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक और जटिल मुद्दों, जैसे मानवाधिकार, असमानता, और सामाजिक न्याय से जोड़ा।

4. विविधता और संदर्भ आधारित अध्ययन: यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन को विविध दृष्टिकोणों से जोड़ता है और प्रत्येक राजनीतिक प्रक्रिया या घटना को उसके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है।

पोस्ट-व्यवहारवाद की आलोचना 1. सामाजिक सक्रियता की अधिकता**: आलोचकों का कहना है कि पोस्ट-व्यवहारवाद ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को राजनीति में हस्तक्षेप करने और सामाजिक बदलाव लाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया, जिससे शोध में पक्षपाती दृष्टिकोण आ सकता है।

2. वस्तुनिष्ठता का ह्रास: पोस्ट-व्यवहारवाद में वस्तुनिष्ठता की कमी के बारे में भी आलोचनाएँ की गई हैं, क्योंकि यह सिद्धांत मानवीय मूल्यों और नैतिक दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं होते।

3. व्यवहारवाद के लाभों का उल्लंघन: कुछ आलोचकों का कहना है कि पोस्ट-व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के लाभों को नज़रअंदाज़ किया है, जैसे कि इसके वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण को।

निष्कर्ष

पोस्ट-व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन में एक नया मोड़ लाया। यह केवल डेटा और आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने से बाहर निकल कर, मानवीय मूल्यों, नैतिकता, और सामाजिक बदलाव पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण राजनीति को केवल एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखता है, जो समाज के कल्याण के लिए काम करती है। हालांकि, इसकी कुछ आलोचनाएँ भी हैं, लेकिन यह राजनीतिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

UNIT-2ND

राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर बहस (Debate on the Decline of Political Theory)

राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory) वह शाखा है, जो राजनीति, राज्य, सत्ता, अधिकार, और समाज के संगठनों के विचारों और मूल्यों को परिभाषित करती है। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक, राजनीतिक सिद्धांत के पतन या उसकी स्थिति पर कई बहसें हुई हैं। कुछ विचारक इसे सैद्धांतिक रूप से निष्क्रिय होने का संकेत मानते हैं, जबकि अन्य इसे अभी भी एक जीवंत और आवश्यक अध्ययन क्षेत्र मानते हैं। इस बहस के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए, हम "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" पर दो मुख्य दृष्टिकोणों को देख सकते हैं।

राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण (Decline of Political Theory)

1. व्यवहारवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभुत्व (Behavioralism and the Dominance of Scientific Approach)

20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत पर एक बड़ा प्रभाव व्यवहारवाद (Behavioralism) का था, जिसने पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना की। व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन को पूरी तरह से वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर आधारित किया, जिसके

तहत केवल वास्तविक, मापने योग्य और आंकी जा सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया गया। परिणामस्वरूप, यह विचारधाराएँ, जैसे कि नैतिकता, आदर्श राज्य, और सिद्धांतों के बारे में विचार, पीछे छूट गए।

विचारक गॉर्टन ऑस्बॉर्न और डेविड ईस्टन जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शवाद को नकारते हुए, इसे केवल व्यवहारिक, मापनीय और अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में पेश किया। समस्या: जब सिद्धांत वास्तविक राजनीति के वास्तविक पहलुओं से कट जाता है और केवल आंकड़ों, मतदान और चुनावों के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो यह मानवीय मूल्य और आदर्शों की कमी पैदा करता है।

2. समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों की प्राथमिकता

आधुनिक समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, और आर्थिक विज्ञान ने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को एक हद तक प्रभावित किया। यह धारणा बनी कि राजनीतिक सिद्धांत केवल ऐतिहासिक या दार्शनिक विचारों तक सीमित नहीं रह सकता। इसके बजाय, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इसे पुनः व्याख्यायित किया गया। नतीजतन, राजनीतिक सिद्धांत को दार्शनिक और सैद्धांतिक परिभाषाओं के बजाय, व्यवहारिक सामाजिक सिद्धांत के रूप में देखा गया।

विचारक मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को एक आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा।

समस्या : इससे राजनीतिक सिद्धांत को सिद्धांतों और आदर्शों की बजाय केवल वास्तविकता के नज़रिए से देखा गया, जिससे उसकी सैद्धांतिक गुणवत्ता का ह्रास हुआ।

3. व्यावहारिक राजनीति और राजनीति में आदर्शों की कमी

आधुनिक राजनीति में व्यावहारिकता और तात्कालिक समस्याओं का अधिक महत्व दिया गया। चुनावी राजनीति, सरकारी नीतियाँ, और राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा ने आदर्शों, नैतिकता और सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया। परिणामस्वरूप, राजनीतिक सिद्धांत को मुख्य रूप से शासक वर्ग और सत्ताधारी तंत्र द्वारा निर्धारित किया गया, जो बुनियादी न्याय, समानता, और स्वतंत्रता के विचारों से दूर होता चला गया।

विचारक :हेनरी किसिंजर और मैकियावेली जैसे विचारक व्यावहारिक राजनीति और सत्ता के संघर्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे।

समस्य : व्यावहारिक राजनीति ने राजनीतिक सिद्धांत के आदर्शवाद और नैतिक आधार को कमजोर किया। सिद्धांतों की बजाय परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

राजनीतिक सिद्धांत के पतन के खिलाफ तर्क (Defense of Political Theory)

हालांकि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के तर्क बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन कई विचारक अभी भी इसे जीवंत और प्रासंगिक मानते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन एक मिथक है और यह अभी भी समाज में अपने महत्वपूर्ण स्थान को बनाए रखता है।

1. राजनीतिक सिद्धांत की नवीनीकरण और बदलाव की प्रक्रिया

राजनीतिक सिद्धांत केवल पुरानी परंपराओं या आदर्शों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदलता रहता है। आधुनिक राजनीति के संदर्भ में यह नए विचारों और मुद्दों को अपनाता है, जैसे कि मानवाधिकार, पर्यावरणीय न्याय, लिंग समानता, और वैश्वीकरण। इसलिए, सिद्धांत में एक परिवर्तनशीलता है, जो उसे प्रासंगिक बनाती है।

विचारक: जॉन रॉल्स, मार्था नुस्बाम , और चार्ल्स टेलर जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत में बदलाव की प्रक्रिया को दिखाया, जो समकालीन मुद्दों को समेटे हुए है।

समाधान: वे मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे नैतिक मूल्यों के संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जा सकता है, जिससे यह आज भी प्रासंगिक है।

2. राजनीतिक सिद्धांत और आदर्शवाद का महत्व

राजनीतिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण और समाज के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करना है। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जो समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समान और स्वतंत्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि केवल व्यावहारिक राजनीति पर ध्यान दिया जाएगा, तो हम समाज के सर्वोत्तम आदर्शों को खो सकते हैं।

विचारक: प्लेटो अरस्तू , और जॉन लॉक जैसे विचारकों ने आदर्श राज्य और आदर्श समाज के सिद्धांतों पर जोर दिया, जो आज भी एक प्रेरणा स्रोत हैं।

समाधान: आदर्शवादी दृष्टिकोण से राजनीति के अध्ययन को वापस लाने से राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और प्रासंगिकता बनी रहती है।

3. **समाज के वास्तविक समस्याओं के समाधान में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका

राजनीतिक सिद्धांत समाज की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है। यह केवल विचार और परिभाषाएँ नहीं है, बल्कि एक ठोस रूप में समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों को सिद्धांत के माध्यम से ही समझा और सुधारा जा सकता है।

विचारक : डेविड ईस्टन औ हेनरी सिद्‌गविक जैसे विचारकों ने सिद्धांत और व्यवहार के बीच के संबंध को मजबूत किया है।समाधान: राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक समस्याओं और संदर्भों के साथ जोड़ने से यह सिद्धांत और भी सशक्त बन सकत

निष्कर्ष

राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर बहस एक जटिल और विविध दृष्टिकोणों का परिणाम है। हालांकि व्यवहारवाद और व्यावहारिक राजनीति के प्रभाव से यह कुछ हद तक कमजोर हुआ है, फिर भी इसे आज भी समाज के नैतिक और आदर्श मूल्यों को समझने, राजनीति के लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करने, और वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक आवश्यक उपकरण माना जाता है। इसलिए, राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, बल्कि यह समय-समय पर नवीनीकरण और पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

Unit-3

"Theory of Justice" by John Rawls (जिसे हिंदी में "न्याय का सिद्धांत" कहा जा सकता है) एक प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत है जो समाज में न्याय और समानता की अवधारणाओं पर आधारित है। इसे 1971 में प्रकाशित किया गया था, और यह समाजिक न्याय के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके मूल में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं:

1. **सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का न्यायसंगत वितरण**

Rawls का मानना था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं तब तक न्यायसंगत हो सकती हैं, जब तक कि ये सबसे गरीब और असंगठित वर्ग को लाभ पहुँचाती

हों। उनका यह सिद्धांत "अंतरिम लाभ सिद्धांत" (Difference Principle) के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि यदि असमानताएं कुछ लोगों के लिए बेहतर स्थिति पैदा करती हैं, तो वे असमानताएं तभी स्वीकार्य हैं, जब वे सबसे निचले स्तर पर रहने वालों के लिए भी फायदेमंद हों।

2. **समान मूल अधिकारों का अधिकार**

Rawls का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत "समानता का सिद्धांत" (Equal Liberty Principle) है, जिसमें उनका कहना था कि हर व्यक्ति को समान और अनिवार्य अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आदि। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता के खिलाफ न बढ़ाया जाए, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है।

"Original Position" और "Veil of Ignorance" का सिद्धांत:

Rawls ने एक विचार प्रयोग प्रस्तुत किया, जिसे **"Original Position"** कहा जाता है। इसमें, कल्पना कीजिए कि एक समूह लोग "Veil of Ignorance" (अज्ञान के आवरण) के पीछे खड़े हैं, यानी वे नहीं जानते कि वे समाज में कौन होंगे, जैसे कि एक अमीर या गरीब, जाति या लिंग के हिसाब से। इस अज्ञान स्थिति में, लोग समाज के न्याय के सिद्धांतों का चयन करेंगे ताकि जब वे व्यक्तिगत रूप से किसी वर्ग में हों, तो वे सुनिश्चित कर सकें कि उनके अधिकारों और लाभों की कोई कमी न हो।

यह सिद्धांत, असल में, समाज में न्याय का एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, जिसमें हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलते हैं और जहां सबसे गरीब और असंगठित वर्ग की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है।

मुख्य बिंदु:

* **Difference Principle (अंतरिम लाभ सिद्धांत)**: असमानताएं तब तक स्वीकार्य हैं जब तक कि वे सबसे गरीब वर्ग को फायदा पहुँचाती हैं।

* **Equal Liberty Principle (समान स्वतंत्रता का सिद्धांत)**: सभी व्यक्तियों को समान मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अधिकार होना चाहिए।

Veil of Ignorance (अज्ञान के आवरण का सिद्धांत): लोग अपनी स्थिति और वर्ग के बारे में अज्ञात रहते हुए, न्याय के सिद्धांतों का चुनाव करेंगे।

Rawls का सिद्धांत समाज में न्याय और समानता को प्रोत्साहित करने के लिए एक सशक्त विचारधारा है, जो सामाजिक असमानताओं और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम करता है। "Anarchy, State, and Utopia"(1974) में Robert Nozick ने जो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसे हम "Nozick's Theory of Justice" कहते हैं। यह सिद्धांत लिबर्टेरियन दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों और न्यूनतम राज्य (Minimal State) की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। Nozick का सिद्धांत John Rawls के सिद्धांत से बिलकुल अलग है। जबकि Rawls का ध्यान समाज में समानता और असमानताओं के न्यायसंगत वितरण पर था, Nozick का ध्यान व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वामित्व और स्वतंत्रता के अधिकारों पर था।

1. संपत्ति और न्याय (Property and Justice) Nozick का मानना था कि संपत्ति का अधिकार एक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और श्रम से कुछ संपत्ति अर्जित करता है, तो उसे उस संपत्ति पर पूरा अधिकार होना चाहिए। ज्यादा हस्तक्षेप करने वाला राज्य न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य को किसी के स्वामित्व को छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

Nozick का प्रसिद्ध विचार है "Entitlement Theory"। इसके तीन मुख्य सिद्धांत हैं:

Acquisition of Property: यदि किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को किसी न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है (जैसे श्रम, व्यापार या अन्य तरीके से), तो उसे उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए।Transfer of Property: अगर संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी दबाव या धोखाधड़ी के ट्रांसफर किया जाता है, तो यह ट्रांसफर न्यायपूर्ण होगा। Rectification of Injustice: अगर किसी को संपत्ति की हानि हुई है (उदाहरण के लिए चोरी या अन्य अन्यायपूर्ण तरीके से), तो उसे उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

2. न्यूनतम राज्य (Minimal State):

Nozick का मानना था कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना होना चाहिए। उनका मानना था कि"न्यूनतम राज्य" ही एक न्यायपूर्ण राज्य हो सकता है, जो केवल उन कार्यों को करे जो व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, जैसे कि सुरक्षा, सैन्य और न्यायिक प्रणाली। उनके अनुसार, राज्य का कार्य केवल उन परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन न हो। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से संबंधित अधिकारों या व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर कोई भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह किसी अन्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा हो।

3. Utopia" और अन्य समाजों का विरोध**:

Nozick ने यह भी तर्क दिया कि कोई भी आदर्श समाज (जैसे कि Rawls का समाज) सामाजिक इंजीनियरिंग का परिणाम हो सकता है, जो अन्य लोगों की स्वतंत्रता पर अनावश्यक नियंत्रण लगाता है। उनका मानना था कि समाज में कोई भी "एक आकार सभी के लिए" आदर्श नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

4. "The Wilt Chamberlain Example":

Nozick ने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया, जिसे "The Wilt Chamberlain Example" कहा जाता है। इस उदाहरण में, उन्होंने बताया कि यदि एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी (जैसे Wilt Chamberlain) अपनी खेल प्रदर्शनी के लिए लोगों से पैसे लेता है, तो उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी। हालांकि, यह वृद्धि उन लोगों द्वारा की गई स्वेच्छा से है, जिन्होंने उसे पैसे दिए। इस उदाहरण का उद्देश्य यह दिखाना था कि कोई समाज या राज्य जबरन किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनने का अधिकार नहीं रखता, बस इसलिए कि कुछ लोग असमान रूप से समृद्ध हो गए हैं।

5. **राज्य का हस्तक्षेप**:

Nozick के अनुसार, राज्य का हस्तक्षेप तब तक न्यायसंगत नहीं है जब तक कि किसी अन्य के अधिकार का उल्लंघन न हो रहा हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, तो राज्य की भूमिका है उसे सजा देना या न्याय प्रदान करना। लेकिन, बिना किसी उल्लंघन के, राज्य का हस्तक्षेप अन्यथा अन्यायपूर्णहोगा।

मुख्य बिंदु:

1. संपत्ति का अधिकार: प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, और राज्य को इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

2. न्यूनतम राज्य: राज्य का कार्य केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना होना चाहिए। किसी अन्य कार्य के लिए राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

3. स्वतंत्रता का सम्मान: हर व्यक्ति को अपने जीवन के तरीके का चुनाव करने का अधिकार है, बिना किसी राज्य या समाज द्वारा हस्तक्षेप के।

4. सामाजिक इंजीनियरिंग का विरोध: कोई आदर्श समाज नहीं हो सकता; हर व्यक्ति को अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है।

निष्कर्ष: Nozick का न्याय का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वामित्व के अधिकार पर आधारित है। उनका सिद्धांत राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के पक्ष में है, और उनका मानना है कि समाज में न्याय तब ही हो सकता है जब हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति और स्वतंत्रता पर पूरा अधिकार हो, और किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन न हो।

Nozick का दृष्टिकोण समाज की समानता और आदर्शवाद को तात्कालिक रूप से चुनौती देता है, और इसके बजाय यह परिभाषित करता है कि समाज में न्याय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वामित्व के अधिकार के प्रति सम्मान से आता है।

लिबरल लोकतंत्र (Liberal Democracy) एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता, और न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। इस लोकतांत्रिक ढांचे में, राज्य का कार्य नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना होता है, और चुनावों के माध्यम से सरकार का गठन होता है, जहां विभिन्न राजनीतिक विचारों और मतों को सम्मान दिया जाता है। लिबरल लोकतंत्र का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार

देना, उनके विचारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।

लिबरल लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत:

1. क्तिगत स्वतंत्रता (Individual Liberty):

लिबरल लोकतंत्र में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी निजी जीवनशैली, विश्वास, और विचारों को चुनने का अधिकार है, जब तक कि उनका व्यवहार दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।

स्वतंत्रता का सिद्धांत: नागरिकों को उन कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्वतंत्रता या अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाते।

धार्मिक और विचारों की स्वतंत्रता: लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं और विचारों को खुले तौर पर व्यक्त कर सकते हैं।

2. समानता (Equality):

लिबरल लोकतंत्र में समानता का बहुत महत्व है। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता।

समान अवसर: हर व्यक्ति को समाज में उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए।

कानूनी समानता: सभी नागरिकों को न्यायिक प्रणाली में समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो।

3. ध्वनि (Representation):

लिबरल लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। नागरिकों को अपने नेताओं का चयन करने का अधिकार होता है, और वे यह काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से करते हैं।

प्रतिनिधित्व का सिद्धांत: नागरिकों को सरकार के गठन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। वे अपनी पसंद के नेताओं को चुनते हैं और उनकी नीतियों के आधार पर सरकार का निर्माण होता है।

मुलायम चुनाव और पारदर्शिता: चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है ताकि नागरिकों को अपनी आवाज़ सुनाने का पूरा अवसर मिल सके।

4. संविधान और कानून का शासन (Rule of Law):लिबरल लोकतंत्र में,कानून का शासन सुनिश्चित किया जाता है। इसका मतलब है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। संविधान की सर्वोच्चता: संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, और सरकार को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों के भीतर ही काम करना होता है। न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जिससे सरकार के किसी भी पक्ष के खिलाफ न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

5. पार्टी और बहुस्वीकृति (Pluralism):

लिबरल लोकतंत्र में विभिन्न विचारों, विश्वासों, और राजनीतिक दलों का सम्मान किया जाता है। सरकार का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष विचारधारा या दल को दमन या प्रतिबंधित न किया जाए। विविधता की स्वीकृति: समाज में विभिन्न प्रकार की राय, विचार और संस्कृति को सम्मानित किया जाता है। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है।

राजनीतिक बहुलतावाद: चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है, जिससे नागरिकों के पास विभिन्न विकल्प होते हैं।

6. स्वतंत्रता का संतुलन (Balance of Freedom and Responsibility):

लिबरल लोकतंत्र यह मानता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन होना चाहिए। जबकि लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, वे यह भी समझते हैं कि उनकी स्वतंत्रता किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।

स्वतंत्रता और जिम्मेदारी: नागरिकों को स्वतंत्रता का उपयोग अपनी पसंद के अनुसार करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

7. अल्पसंख्यकों के अधिकार (Minority Rights):

लिबरल लोकतंत्र में, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाती है। इसका मतलब यह है कि भले ही बहुसंख्यक समूह किसी विषय पर सहमत हो, लेकिन अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है।

संविधान द्वारा संरक्षण: अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है, ताकि उन्हें बहुसंख्यक समाज द्वारा दमन का सामना न करना पड़े। सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा: अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा, और विश्वासों को बनाए रखने का अधिकार होता है।

लिबरल लोकतंत्र का उद्देश्य:

लिबरल लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और न्याय के सिद्धांतों के तहत एक ऐसे समाज की रचना करना है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, वे

स्वतंत्र रूप से अपनी राय और विचार व्यक्त कर सकें, और किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष:

लिबरल लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता, न्याय, संविधान का शासन, और पार्टी बहुलता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। यह न केवल राजनीतिक व्यवस्था है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। लिबरल लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है।

मार्क्सवादी लोकतंत्र (Marxian Democracy)कर्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों पर आधारित है। यह लोकतंत्र का एक दृष्टिकोण है जो सामाजिक वर्गों और आर्थिक असमानताओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता की प्राप्ति है, जिसमें श्रमिक वर्ग का शासन स्थापित किया जाता है और पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र में लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ सार्वजनिक चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जहां श्रमिक वर्ग की सत्ता होती है और जहां पूंजीपति वर्ग का शोषण समाप्त किया जाता है।

मार्क्सवादी लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत:

1. वर्ग संघर्ष (Class Struggle):

मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, समाज में हमेशा दो मुख्य वर्ग होते हैं:

पूंजीपति वर्ग (Bourgeoisie): जो उत्पादन के साधनों (जैसे फैक्ट्रियां, भूमि, मशीनें) के मालिक होते हैं।

श्रमिक वर्ग (Proletariat) : जो अपने श्रम के बदले मजदूरी प्राप्त करते हैं, लेकिन उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं होते। मार्क्स के अनुसार, इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है, और इसके कारण समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र इस वर्ग संघर्ष के समाधान के रूप में पूंजीवाद का उन्मूलन और साम्यवाद की स्थापना की बात करता है।

2. पूंजीवाद का उन्मूलन (Abolition of Capitalism):

मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पूंजीवाद को असमानता और शोषण का कारण माना जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं, और इसका लाभ केवल पूंजीपति वर्ग को होता है, जबकि श्रमिक वर्ग शोषित होता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अंततः सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को जन्म देगा, जो एक क्रांति की ओर ले जाएगा। मार्क्सवादी लोकतंत्र में पूंजीवाद का उन्मूलन करना आवश्यक है, और यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक श्रमिक वर्ग के अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जाती। श्रमिक वर्ग को सत्ता मिलनी चाहिए, ताकि वे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर सकें और समाज में समानता स्थापित कर सकें।

3. साम्यवाद (Communism) और श्रमिक राज्य (Dictatorship of the Proletariat):

मार्क्स के अनुसार, पूंजीवाद का उन्मूलन होने के बाद **साम्यवाद** की स्थापना होगी। साम्यवाद वह राज्य व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन समाज के सामूहिक स्वामित्व में होंगे और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, और सभी संसाधनों का समान वितरण होगा। इसके बीच में, एक श्रमिक राज्य (Dictatorship of the Proletariat) की अवधारणा होती है। यह एक अस्थायी शासन व्यवस्था है जिसमें श्रमिक वर्ग सत्ता का exercise करता है। इसका उद्देश्य पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति का स्थायीत्व बनाना और उत्पादन के साधनों का सामूहिककरण करना है। इसे वर्गीय शोषण

को समाप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, ताकि साम्यवाद की ओर कदम बढ़ाया जा सके।

4. लोकतंत्र का पुनः परिभाषा (Re-definition of Democracy):

मार्क्सवादी लोकतंत्र पारंपरिक पूंजीवादी लोकतंत्र से अलग है, जिसमें वोट देने का अधिकार और चुनावों में भागीदारी सिर्फ एक छोटे से वर्ग तक सीमित होती है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी लोकतंत्र असल में शोषणकारी वर्गों का शासन होता है, क्योंकि यह केवल उन्हीं वर्गों के हितों की रक्षा करता है जो सत्ता और पूंजी के मालिक होते हैं।

मार्क्सवादी लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें:

श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग को सत्ता का वास्तविक अधिकार हो। निर्माण के साधनों (जैसे कारखाने, खदानें, कृषि भूमि) का सामूहिक स्वामित्व हो, ताकि उत्पादन और वितरण में समानता आए। चुनाव केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में वर्ग संघर्ष के समाधान का हिस्सा हों।

5. सामाजिक न्याय और समानता (Social Justice and Equality):

मार्क्सवादी लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और समानता का बहुत महत्व है। यह मानता है कि किसी भी प्रकार की असमानता (जैसे आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक) को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए और भ्रष्टाचार शोषण और भेदभाव का समूल नाश किया जाना चाहिए।

मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब उत्पादन के साधन समाज के स्वामित्व में हों और एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो, जिसमें हर किसी को उनके आवश्यकताओं के हिसाब से संसाधन मिलें।

6. विकसित लोकतंत्र का लक्ष्य (Goal of a Developed Democracy):

मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, एक पूर्ण विकसित लोकतंत्र तब संभव है जब समाज में कोई वर्ग न हो, और न ही किसी का शोषण हो रहा हो। यह एक वर्गविहीन समाJ की दिशा में चलने की प्रक्रिया है। साम्यवाद के स्थायी शासन में, लोकतंत्र का मतलब हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सभी के अधिकारों की समानता होगी।

7. राजनीतिक पार्टी का रूप (Role of Political Party):

मार्क्सवादी लोकतंत्र में, कम्युनिस्ट पार्टी या किसी श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह पार्टी श्रमिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और साम्यवाद की दिशा में बदलाव की दिशा में काम करती है। पार्टी का उद्देश्य श्रमिक वर्ग की सत्ता की स्थापना करना है, और यह राज्य के शोषणकारी ढांचे को समाप्त करना चाहती है।

निष्कर्ष:

मार्क्सवादी लोकतंत्र का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता वर्ग संघर्ष का समाधान और श्रमिक वर्ग की सत्ता की स्थापना करना है। यह पूंजीवादी लोकतंत्र से भिन्न है, क्योंकि यह विश्वास करता है कि केवल पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलनऔर साम्यवाद की स्थापना के द्वारा ही वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय संभव है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अधिकार का आदान-प्रदान केवल एक वर्गविहीन समाज के माध्यम से ही संभव है।

UNIT-4

Fascism को हिंदी में फ़ासीवाद (फ़ासिज़्म) कहते हैं।

फ़ासीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, जिसमें:

सत्ता एक ताक़तवर नेता या एक ही दल के हाथ में होती है

राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति पर ज़ोर दिया जाता है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है

विरोध और असहमति को दबाया जाता है

Liberalism को हिंदी में उदारवाद कहते हैं।

उदारवाद एक राजनीतिक-सामाजिक विचारधारा है, जिसमें:

व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है

अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचार और धर्म की स्वतंत्रता का समर्थन होता है

लोकतंत्र और क़ानून के शासन पर विश्वास किया जाता है

समान अधिकार और अवसरों की बात की जाती है

Contemporary Liberalism को हिंदी में समकालीन उदारवाद कहा जाता है।

समकालीन उदारवाद का अर्थ है आज के समय में उदारवादी विचारधारा का आधुनिक रूप। इसमें पारंपरिक उदारवाद के साथ-साथ सामाजिक ज़िम्मेदारी पर भी ज़ोर दिया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक न्याय पर ध्यान

मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन

राज्य की भूमिका सिर्फ़ सीमित नहीं, बल्कि कल्याणकारी भी मानी जाती है

समानता, लैंगिक अधिकार, और अवसरों की बराबरी पर ज़ोर

लोकतंत्र, संविधान और क़ानून के शासन में विश्वास

सरल शब्दों में: समकालीन उदारवाद कहता है कि लोग आज़ाद हों, लेकिन सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर मिलें।